न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी :श्रीमति मनीषालेघा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र सं. : 30/2020 निर्णय दिनांक : 23.03.2021

1. रूपनारायण पुत्र गोदा (पौत्र ईसरा)
2. प्रभूदयालय पुत्र गोदा (पौत्र ईसरा)
3. कानाराम पुत्र गोदा (पौत्र ईसरा)

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरचन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. कमली उर्फ भंवरी (पुत्री गोदा) पत्नि जगदीश नारायण
5. मनभरी (पुत्री गोदा) पत्नि धूडाराम

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम हरचन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

   हाल निवासी– मौजी वाली ढाणी, ग्राम नेकावाला वाया गठवाडी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गोदा पुत्र ईशरा
2. लखनलाल पुत्र गोदा
3. ताराचन्द पुत्र गोदा
4. ओमप्रकाश पुत्र गोदा
5. हंसादेवी पुत्री गोदा

   समस्त जाजि जाट निवासी ग्राम हरचंदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
7. उप–पंजीयक आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री प्रभू सिंह राजावत

उपस्थितः– अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री फूलचन्द मीणा

निर्णय **दिनांक 23.03.2021**

प्रार्थी वादीगण की ओर से ग्राम हरचन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 121, 121/713, 122, 123, 125, 126, 133 कुल खसरा किता 7 कुल रकबा 2.76 है. के सन्दर्भ में हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.24 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य है। वर्णित विवादित भूमि हाल रिकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 5 के पिता गोदा पुत्र ईशरा के नाम विरासतन हकों के अन्तर्गत दर्ज भूमि है। जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 की पैतृक आराजी भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के पिता गोदा पुत्र ईशरा (अप्रार्थी सं. 1) ने वर्ष 1985 में उक्त वादग्रस्त आराजी पर बाहमी बंटवारा कर दिया था। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में हाल खसरा नं. 122, 123, 125 व इसके आस पास का भू–भाग रखा गया है तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के हक व हिस्से में रही। प्रार्थीगण बाहमी बंटवारें के प्राप्त भूमि ख.नं. 122, 123, 125 को समतल व उपजाउ कर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 के पुख्ता मकानात व पशुओं के बाडे उक्त खसरा नम्बारान में बने हुए है। प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 अप्रार्थी सं. 1 की प्रथम (पूर्व) पत्नि की संताने तथा अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 द्वितीय पत्नी की सन्ताने होने से अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 प्रार्थीगण से द्वेषतापूर्ण व्यवहार रखते है तथा अपने तथा प्रार्थीगण के वृद्ध पिता अप्रार्थी सं. 1 से वर्णित विवादित भूमि को स्वयं के नाम छलपूर्वक हस्तांतरित करने पर आमादा है, जबकि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से प्रार्थीगण का विरासतन हको के अन्तर्गत 1/2 भाग कानूनन निहीत है। जिस पर मुताबिक बाहमी बंटवारा हाल ख.नं. 122, 123, 125 व आस पास की भूमि पर प्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थीगण कभी भी उक्त पैतृक आराजी को अप्रार्थी सं. 1 से स्वयं के नाम हस्तांतरित करवाने पर आमादा है। जिसके बाबत अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 17.09.2020 को धमकी भी दी गई थी। जिससे प्रार्थीगण को वाद कारण उत्पन्न होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय वादपत्र के प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है तथा प्रार्थीगण को हक प्राप्त है कि वें अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए कि वें **वादग्रस्त आराजी हाल ख.नं. 121/713, 121, 122, 123, 125, 126, 133 कुल खसरा किता 7 कुल रकबा 2.76 है. वाके ग्राम हरचन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर का रहन, बेचान, वसीयत द्वारा हस्तांतरित नही करे व प्रार्थीगण को बेदखल नही करे तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि को आगे हस्तांतरित कर दिया जायेगा तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति संभव नही होगी तथा वादग्रस्त आराजी में कानूनी आधार पर प्रार्थीगण का पैतृक जन्मजात हिस्सा व वास्तविक तथा भौतिक कब्जाधिकार सहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में बखूबी सिद्ध है। जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Uegha
Date: 2021.03.24 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested

किया जावें कि वे उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त पैतृक आराजी **ख.न. 121/713, 121, 122, 123, 125, 126, 133 कुल खसरा किता 7 कुल रकबा 2.76 है. वाके ग्राम हरचंदपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर** को रहन, बेचान, वसीयत द्वारा हस्तांतरित ना करे व प्रार्थीगण को बेदखल ना करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए नखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु नोटिस जारी किए गए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निरन्तर अवसरों के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने के क्रम में अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना चाहने तथा सीधे बहस हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बन्द किया जाकर उभयपक्षकारान की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई ।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई लिखित जवाब अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई आपति प्रस्तुत नही करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में **उभयपक्षकारान को विवादित/वादग्रस्त भूमि में मात्र नवीन निर्माण के सन्दर्भ में मूलवाद के निस्तारण तक** निषेधित किए जाने बाबत कथन करते हुए मात्र यही निवेदन किया गया कि प्रार्थी वादीगण उभयपक्षकारान बाबत न्यायालय स्थगन के उपरान्त भी वादग्रस्त आराजी में निर्माण कार्य पर आमादा है। यदि प्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्दित/पालना हेतु पाबन्दित नही किया गया तो प्रार्थीगण मौके की यथास्थिति परिवर्तित कर देंगें। जिससे वाद बहुलता बढेगी तथा अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः **उभयपक्षकारान को नवीन निर्माण बाबत पाबन्द फरमाया जावे।**

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के प्रतिउत्तर में अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण कि पैतृक भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों/पितामह के काल से ही निरन्तर काबिज है एवं मकानात बना रखे है तथा **अपने हाल मकानात व आवसीय परिसर की सुरक्षार्थ बाउन्ड्रीवाल व आवश्यक सुधार कार्य ही किया जा रहा है। कोई नवीन/अन्य निर्माण नही किया जा रहा है। जिसके लिए प्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जा सकता है।**

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया, पत्रावलीया का गौर पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण/उभयपक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित करने संबंधि तथ्य काउण्टर टी.आई/काउण्टर शपथ पत्र का विषय है, जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई लिखित जवाब अथवा काउण्टर टी.आई.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Lodha
Date: 2021.03.24 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। मूल प्रार्थना पत्र में मौके की यथास्थिति का अनुतोष नही चाहा गया है। लेकिन वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार (अप्रार्थी सं. 1) के अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में निर्माण कर भूमि की किस्म परिवर्तन कर रहे है। जिन्हें पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उभयपक्षकारान एक ही परिवार के (गोदा पुत्र ईशरा के) विधिक वारिसान है जिनके हको का निस्तारण मूलवाद में होना है। अतः न्यायालय हाज के पूर्व अन्तरिम अस्थाई आदेश दिनांक 21.09.2020 का ताफैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर उभयपक्ष को वादग्रस्त आराजी में नवीन/अविधिक निर्माण नही किए जाने बाबत भी पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, परन्तु साथ ही उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी में स्थित हाल आवासीय मकानात व आवासीय परिसर के सुधार व सुरक्षा के दृष्टिकोण मात्र के निर्माण हेतु मुक्त रखा जाना भी उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें ग्राम हरचन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 121, 121/713, 122, 123, 125, 126, 133 कुल खसरा किता 7 कुल रकबा 2.76 है. की रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा किसी तृतीय पक्षकार का हक सृजित ना करें, विक्रय ना करें तथा उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी पर स्थित अपने हाल आवासीय मकानात व परिसर की सुरक्षार्थ आवश्यक सुधार कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई नवीन (अविधिक) निर्माण कार्य ना करे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.24 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested